न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 182/2017
दायर दिनांक :– 07.09.2017

अनवान

कमला देवी पत्नि किशनलाल मीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पिता रामसिंह राजपूत नि. धांधोला तह. जहाजपुर
2. सोजीसिंह पिता प्रताप मीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादिया

:: निर्णय :: दिनांक 27.04.2022

वादिया का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोराणी प0 ह0 बिन्ध्यांभाटा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1397 कुल किता 01 रकबा 05–02 बीघा कृषि भुमि वादिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर मार्च 2017 में सीमा बिन्दु को लेकर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 द्वारा विवाद करने तथा वादीगण के कब्जे काश्त की जमीन के सीमा बिन्दु के अन्दर घुस कर भु भाग पर अतिचार करने पर उतारू होकर कुछ भू भाग पर अतिचार कर लिया तब वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को मना किया तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने कहा आप अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा लो ताकि कब्जा हमारी तरफ निकलता है तो कब्जा छोड देगें, जिस पर वादीया ने न्यायालय श्रीमान के यहां पत्थरगढी करने हेतु वाद पेश किया जिस पर भू. अ. नि. द्वारा दिनांक 20.05.2017 को मुस्तकील निशानात से जरीब चलाकर प्रतिवादीगण एवं उनके प्रतिनिधि की मौजुदगी में कृषि भूमि का सीमांकन कर चारों कोनो पर पत्थर गढवाये गये तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का अवैध अतिचार पाया गया तथा अवैध अतिचार छोडने से मना कर दिया। उक्त पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 4 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा 3 बिस्वा कृषि भूमि में अवैध अतिचार कब्जा कर रखा है प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने दादागरी एवं शक्ति के बल पर वादीया की कुल 7 बिस्वा जमीन पर जबरन अतिचार कर लिया हैं तथा पत्थरगढी होने के उपरान्त भी कब्जा नही छोड रहे है तथा लडाई झगडा करने मरने मारने पर आमादा है। इसलिये वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 द्वारा 4 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा 3 बिस्वा कृषि भूमि पर कर रखा अवैध कब्जा अतिचार से बेदखल कर पुनः कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादीया को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीया के कब्जा काश्त में बाधा न डालें, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादियां का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री शशिकान्त पत्रिया एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण को कई मर्तबा जवाब हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया।

वकील वादिया ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2069 से 2072 की प्रति प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श 2, दिनांक 13.04.17 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 3 है जो शामिल फ़ाईल है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादिया कमला देवी पी. डब्ल्यु 1, किशनलाल पी. डब्ल्यु 2 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

वकील वादिया की बहस सुनी गई। वकील वादिया बहस के दौरान बताया की वादिया उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादिया के कब्जे काश्त की जमीन के सीमा बिन्दु के अन्दर घुस कर भु भाग पर अतिचार करने पर उतारू होकर कुछ भू भाग पर अतिचार कर लिया। वादिया द्वारा पत्थरगढी करवाई गई जिसमें भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 का अवैध अतिचार पाया गया तथा अवैध अतिचार छोडने से मना कर दिया। उक्त पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 4 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा 3 बिस्वा कृषि भूमि में अवैध अतिचार कब्जा कर रखा है इसलिये वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 4 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा 3 ब्रिस्वा कृषि भूमि पर कर रखा अवैध कब्जा अतिचार से बेदखल कर पुनः कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादीया को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीया के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादिया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नं. 1397 कुल किता 01 रकबा 05–02 बीघा भूमि की वादिया खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2069–72 प्रदर्श 1 से होती है। वादिया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर आंशिक भू भाग पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 3 से होती है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादियां की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादियां प्रतिवादीगण को अपनी भूमि से बेदखल कराने का अधिकार रखती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादियां की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादियां के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणी प0 ह0 बिन्ध्याभाटा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1397 कुल किता 01 रकबा 05–02 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 4 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा 3 बिस्वा भाग में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से उन्हे बेदखल कर कब्जा वादिया को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

कमला देवी पत्नि किशनलाल मीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पिता रामसिंह राजपूत नि. धांधोला तह. जहाजपुर
2. सोजीसिंह पिता प्रताप मीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – **188, 188 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 182 / 2017

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणी प0 ह0 बिन्ध्याभाटा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1397 कुल किता 01 रकबा 05–02 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 4 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा 3 बिस्वा भाग में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से उन्हें बेदखल कर कब्जा वादिया को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.04.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

c@rider/dikri

Scanned with CamScanner